

BA Part II (H)
Paper III

Dr. Chiranjeev K. Thakur
Assistant Professor (AT)
Department of Sociology
VSI College, Raj Nagar

Lecture VIII

अनुसूचित जातियों के समस्याओं का निराकरण =)

- II) सहायता के कदम - अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को सरकार कोषों से सहायता भी प्रदान करती है। राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अनुसूचित जातियों को विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। पुस्तकों, पत्रिकाओं, विचारों और इलेक्ट्रॉनिकों द्वारा असह्यता विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न जिलों में हरिजन कल्याण कार्यकारियों के कौशल भी स्थापित किए गए हैं। इन कार्यकारियों द्वारा अनुसूचित जातियों को आर्थिक तथा शैक्षणिक संबंधों में अनेक प्रकार की सहायता दी जाती है।
- III) कल्याणकारी कदम - अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सरकार को मोर से जो कार्य किए गए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं -

(1) अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अपनी जासूसी के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया गया। इस प्रकार विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों के संघ भी अनुसूचित जातियों के लिए सीटें सुरक्षित रखी गईं।

(2) प्रतियोगिता के आधार पर की जाने वाली सरकारी नियुक्तियों में SC के लिए 15% तथा अन्य नियुक्तियों में 16.7% स्थान सुरक्षित किए गए हैं। साथ ही भौतिक संबंधों को भी इनको ही जाती है।

(3) अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं दी जाती हैं।

(4) अनुसूचित जातियों को कार्यका उत्तारे के लिए उन्हें विशेष प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी सहायता दी जाती है।

(IV) गैर सरकारी प्रावधान - हरिजन सचिवालय संघ के हरिजनों के लिए मंदिर प्रवेश, कुलीर उद्योगों की स्थापना और शिक्षा प्रसार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। समकृष्ण मिशन, सेंट्रल ऑफ इण्डिया सोसायटी आदि सामाजिक संस्थाएं भी अनुसूचित जातियों की कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। इसी प्रकार बालिका कों तथा SC संघ आदि हरिजन संस्थाएं भी विचार गोष्ठियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य व्यावहारिक योजनाओं के द्वारा SC की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं।